[2021] 1 एस. सी. आर. 229

मेसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड

बनाम

विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासियों का बोर्ड द्वारा सचिव

(सिविल अपील संख्या 7469/2008)

05 जनवरी, 2021

[नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्तिगण]

अनुबंध–प्रस्ताव और प्रस्ताव की स्वीकृति–क्या आगे की शर्त के साथ एक सशर्त प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप एक निष्कर्षित अनुबंध होता है, भले ही प्रस्तावकर्ता स्वीकारकर्ता द्वारा प्रस्तावित आगे की शर्त को स्वीकार करता हो–अवधारित: यह अनुबंध के कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी प्रस्ताव का प्रस्ताव और स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए–जब स्वीकारकर्ता प्रस्तावक द्वारा पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध को स्वीकार करते समय एक नई शर्त रखता है, तो अनुबंध तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि प्रस्तावक उस शर्त को स्वीकार नहीं करता है–भिन्नता के साथ स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है–यह वास्तव में और सार में, केवल एक जवाबी प्रस्ताव है जिसे अनुबंध किए जाने से पहले मूल प्रस्तावक द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए–उच्च न्यायालय ने संविदा अधिनियम की धारा 7 की अनदेखी की – विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने मुख्य बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा जारी निविदा के जवाब में, अपीलार्थी ने अपना प्रस्ताव सशर्त रूप से प्रस्तुत किया था, बशर्ते कि वह अपीलार्थी के डिपो में निरीक्षण के अधीन हो–यह शर्त प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा बिना शर्त स्वीकार नहीं की गई थी–प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी के डिपो में निरीक्षण करने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन एक और शर्त लगाई कि माल का अंत में प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के शोरूम में निरीक्षण किया जाएगा–इस शर्त को अपीलार्थी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था–इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि एक अनुबंध समाप्त हो गया था–कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था, वहां कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था – संविदा अधिनियम 1872 – धारा 7:–

अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अवधारित किया:

1.1 यह संविदा कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी प्रस्ताव की पेशकश और स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता है। प्रस्ताव और स्वीकृति तीन घटकों, अर्थात निश्चितता, प्रतिबद्धता और संचार पर स्थापित या आधारित होनी चाहिए। यद्यपि, जब स्वीकर्ता प्रस्तावक द्वारा पहले से हस्ताक्षरित सविंदा को स्वीकार करते समय एक नई शर्त रखता है, तो सविंदा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि प्रस्तावक उस शर्त को स्वीकार नहीं कर लेता। भिन्नता के साथ स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है। यह प्रभाव और मूलतः बस एक प्रति प्रस्ताव है जिसे सविंदा करने से पहले मूल प्रस्तावक द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1.2. उच्च न्यायालय ने सविंदा अधिनियम 1872 की धारा 7 की अनदेखी की है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस मुख्य बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा जारी निविदा के जवाब में, अपीलार्थी ने अपीलार्थी के डिपो में किए जा रहे निरीक्षण के अधीन अपनी पेशकश सशर्त रूप से प्रस्तुत की थी। इस शर्त को प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बिना शर्त स्वीकार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास अपीलार्थी के डिपो में निरीक्षण के लिए सहमत हो गया, लेकिन एक और शर्त लगाई कि माल का अंत में प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के शोरूम में निरीक्षण किया जाएगा। अपीलार्थी द्वारा इस शर्त को स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि एक सविंदा संपन्न हुआ था। वहाँ कोई निष्कर्षित सविंदा नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की ओर से किसी भी उल्लंघन या नुकसान या अपीलार्थी की कीमत पर किसी भी जोखिम खरीद का कोई सवाल नहीं हो सकता है। अपीलार्थी की बयाना जमा राशि वापस की जानी चाहिए।

हरिद्वार सिंह बनाम बागुन सुम्बरुई और अन्य। ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1242 और भारत संघ बनाम भीम सेन वलीती राम (1969) 3 एस. सी. सी. 146: [1970] 2 एस. सी. आर. 594–पर भरोसा किया गया।

महेश ट्रांसपोर्ट कं. बनाम टी. एंड डी. श्रमिक संघ, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 868 और एम. वी. शंकर भट और एन. आर. बनाम क्लाउड पिंटो से (डी) एल. आर. एस. और अन्य द्वारा, (2003) 4 एस. सी. सी. 86: [2003] 1 एस. सी. आर. 1212–लागू नहीं होता।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम दयाल वुड वर्क्स ए. आई. आर. 1998 ए. पी. 381; फतेह चंद बनाम बालकिशन दास ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1405: [1964] 1 एस. सी. आर. 515; जी.एम.टी.ए.पी को–ऑप मार्केट लिमिटेड बनाम डिप्टी पंजीयक, सहकारी समिति, रायचूर ए. आई. आर. 1998 कर्नाटक 354; मारिमुथु गौंडर बनाम रामास्वामी गौंडर और अन्य। ए. आई. आर. 1979 मद्रास 189; ए.क .ए.एस जमाल बनाम मूला दाऊद संस एंड कंपनी ए. आई. आर. 1915 प्रिवी काउंसिल 48; मेसर्स सराया डिस्टिलरी, सरदारबग्गर बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. ए. आई. आर. 1984 दिल्ली 360; मुरलीधर चिरंजीलाल बनाम मेसर्स हरिश्चंद्र द्वारकादास और अन्र। ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 366:1 एस. सी. आर. 653; महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. बनाम दिगंबर बलवंत कुलकर्णी ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1339: [1979] 3 एस. सी. आर. 188; विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम और ए. एन. आर. v. बिहार एलॉय स्टील्स लिमिटेड और अन्य। 1991 (1) ए. एल. टी 582; रघुनाथन रेड्डी बनाम हैदराबाद राज्य। सरकारी राजस्व विभाग के सचिव ए. आई. आर. 1963 ए. पी. 110; जवाहर लाल बर्मन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 378: [1962] एस. सी. आर. 769; यू. पी. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड बनाम इंदूर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ओआरएस। ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1373: [1996] 2 एस. सी. आर. 386–संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[1964] 1 एससीआर 515	पैरा 35	संदर्भित किया गया है
[1962] 1 एससीआर 653	पैरा 35	संदर्भित किया गया है
[1979] 3 एससीआर 188	पैरा 35	संदर्भित किया गया है
ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 868	अभिनिर्धारित अप्रयोज्य	पैरा 46
[2003] 1 एस. सी. आर. 1212	अभिनिर्धारित अप्रयोज्य	पैरा 46
[1962] एस. सी. आर. 769	पैरा 46	संदर्भित किया गया है
[1996] 2 एससीआर 386	पैरा 46	संदर्भित किया गया है
ए. आई. आर 1972 एस. सी 1242	पैरा 56	पर भरोसा किया
[1970] 2 एससीआर 594	पैरा 57	पर भरोसा किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7469 वर्ष 2008

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 10.10.2006 को अपील संख्या 2196 और 2197 वर्ष 2000 में पारित निर्णय और आदेश से।

कैलाश वासदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवाशीष भारुका, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री सावश्री, रवि भारुका, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, श्रीकांत एस., अधिवक्ता उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति, इंदिरा बनर्जी द्वारा दिया गया:

1. इस अपील में शामिल लघु प्रश्न यह है कि क्या आगे की शर्त के साथ एक सशर्त प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप एक निष्कर्षित अनुबंध होता है, भले ही प्रस्तावकर्ता स्वीकारकर्ता द्वारा प्रस्तावित आगे की शर्त को स्वीकार करता है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न को उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय द्वारा संबोधित नहीं किया गया है।

2. यह अपील हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 2196 और 2197/2000 में पारित एक सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 10.10.2006 के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, विशाखापत्तनम के दिनांक 31.3.2000 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई है और वाद संख्या 106/1993 प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए

दायर की गई, और अपीलकर्ता द्वारा बयाना जमा राशि की वापसी के लिए ओ.एस. संख्या 450/1994 को खारिज कर दिया गया।

3. 17.7.1990 को या उसके आसपास, प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास ने लकड़ी के स्लीपर्स की आपूर्ति के लिए एक निविदा जारी की। निविदाएँ 01.08.1990 पर खोली जानी थीं।

4. निविदा के खंड 15 और 16 को नीचे उद्धृत किया गया हैः

> "15. खरीदार पारगमन बीमा के लिए अलग से भुगतान नहीं करेगा और आपूर्तिकर्ता तब तक जिम्मेदार होगा जब तक कि अनुबंध किए गए सभी स्टोर गंतव्य पर अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच जाते।माल प्राप्तकर्ता गंतव्य पर दुकानों के आगमन की तारीख के 30 दिनों के बाद आपूर्तिकर्ता को किसी भी नुकसान या परिवहन के दौरान दुकानों को हुए नुकसान के बारे में सूचित करेगा।
>
> 16. किसी भी मामले में आपूर्ति दोषपूर्ण पाए जाने की स्थिति में ऐसी सामग्री को अस्वीकार करने और उसे आपूर्तिकर्ता को वापस करने और बंदरगाह द्वारा माल ढुलाई की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है।"

5. उपरोक्त निविदा के अनुसार, अपीलार्थी ने अपना प्रस्ताव 01.08.1990 पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के प्रस्ताव की यह एक विशिष्ट शर्त थी कि स्लीपर्स का निरीक्षण, प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास की आवश्यकता के अनुसार, केवल अपीलार्थी के डिपो में ही किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने निविदा के खंड 15 और 16 को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय एक जवाबी प्रस्ताव रखा। निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने उद्धरण के साथ बकाया जमा के लिए रू 75,000/– जमा किया।

6. दिनांक 02.08.1990 को या इसके आसपास, प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट के भंडार नियंत्रक ने निविदाकारों को सूचित किया कि निविदाओं के खोलने की प्रक्रिया को 08.08.1990 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

7. 08.08.1990 को, अपीलकर्ता ने अपना संशोधित कोटेशन और/या प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें दोहराया गया कि प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट की आवश्यकता के अनुसार निरीक्षण केवल अपीलकर्ता के डिपो में ही किया जाना होगा। निविदाएं खोले जाने के बाद अपीलार्थी और प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास की निविदा समिति के बीच कुछ चर्चाएं हुईं। निविदाएं खोले जाने के बाद अपीलार्थी और प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास की निविदा समिति के बीच कुछ चर्चाएं हुईं।

8. दिनांक 11.10.1990 के एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने उक्त पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों पर प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास को लकड़ी के स्लीपर की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। अपीलार्थी ने दोहराया कि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास वेपागुंटा, विशाखापत्तनम में अपीलार्थी के कारखाने स्थल पर आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है, क्योंकि इससे अस्वीकृत वस्तुओं को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपीलार्थी के डिपो में फिर से भेजने की सुविधा होगी।

9. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास को स्पष्ट किया कि यदि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास को अभी भी प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के स्थल पर निरीक्षण की आवश्यकता है, तो अपीलार्थी लकड़ी के स्लीपर की आपूर्ति के लिए अपीलार्थी द्वारा उद्धृत दर से 25 प्रतिशत अधिक शुल्क लेगा। सुविधा के लिए उक्त पत्र नीचे दिया गया हैः

> 1. "हम अपने परिवहन द्वारा बी. जी. ट्रैक इंडियन सेल वुड स्लीपर्स एफ. डी. आर. वी. पी. टी. साइट की आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।
>
> 2. निरीक्षण खंड के संबंध में आप वेपगुंटा, विशाखापत्तनम में हमारे कारखाने स्थल पर सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं। यह हमें बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबद्धता के अपने डिपो में अस्वीकृत सामग्री को फिर से स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करेगा। यदि आपको अभी भी निरीक्षण की आवश्यकता है, तो आपकी साइट पर हम अपनी दर में 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेंगे।
>
> 3. जैसा कि निविदा समिति ने 10.10.90 को चर्चा के दौरान उल्लेख किया था, हम सामग्री की स्वीकृति के बाद एक सप्ताह के दिन 100% भुगतान की शर्त पर सहमत हैं।
>
> 4. हम सभी विलंबित भुगतानों पर 24 प्रतिशत ब्याज लेते हैं।
>
> 5. हम तुरंत दो हजार बीजी ट्रैक्स स्लीपर्स की आपूर्ति कर सकते हैं और आपूर्ति आपकी आवश्यकता के अनुसार पूरी की जा सकती है।
>
> 6. हम भारतीय रेलवे को स्लीपर्स के नियमित आपूर्तिकर्ता हैं। हम वी. पी. टी. के साथ अपने लेन–देन का विस्तार करना चाहते हैं।
>
> 7. हम बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा का 10 प्रतिशत निष्पादित करेंगे और आपके पास आपके अनुकूल आदेश की प्रतीक्षा में 75,000/– रुपये की हमारी ई. एम. डी. राशि का रिफंड भी है।"

10. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आगे पत्राचार हुआ। प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के भंडार नियंत्रक को संबोधित 20.10.1990 दिनांकित एक अन्य पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने दोहराया कि वह प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के सामान्य भंडारों में निरीक्षण करने के लिए सहमत नहीं हुआ था। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया कि यदि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के सामान्य भंडारों में निरीक्षण पर जोर देता है, तो अपीलार्थी अपने पहले के पत्र में उल्लिखित 25 प्रतिशत के बजाय 24 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेगा। दिनांक 20.10.1990 का उक्त पत्र प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया था।

11. अपीलार्थी के 1.8.1990, 8.8.1990 दिनांकित उद्धरणों और 20.10.1990 दिनांकित पत्र के जवाब में लिखे गए 29.10.1990 दिनांकित एक पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी को सूचित किया कि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी द्वारा उद्धृत दर पर लकड़ी के स्लीपर की आपूर्ति के लिए अपीलार्थी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यद्यपि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास इस

बात पर सहमत था कि निरीक्षण समिति अपीलार्थी के स्थल पर लकड़ी के स्लीपरों का निरीक्षण करेगी, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने आगे यह शर्त लगाई कि अपीलार्थी को लकड़ी के स्लीपरों को अपीलार्थी की कीमत पर सड़क मार्ग से प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास के सामान्य भंडारों तक पहुँचाना होगा और अंतिम निरीक्षण प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के सामान्य भंडारों में किया जाएगा। प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी से स्लीपर्स की डिलीवरी अवधि को 15.11.1990 तक बढ़ाने का भी अनुरोध किया।

12. दिनांकित 29.10.1990 पत्र के जवाब में लिखे गए 30.10.1990 दिनांकित एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के भंडार नियंत्रक को सूचित किया कि अपीलार्थी दिनांकित 29.10.1990 में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहा था, जो अपीलार्थी के प्रस्ताव के अनुसार नहीं थे। अपीलार्थी ने अपने प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि कीमतें बढ़ गई थीं।

13. उपर्युक्त दिनांकित 30.10.1990 पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अनुरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा जमा की गई बकाया राशि अपीलार्थी को वापस कर दी जाए।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दिन, अर्थात 30.10.1990 को प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के भंडार नियंत्रक ने एक कार्यालय नोट पेश किया, जिसमें प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष से अपीलकर्ता को 10,596 ब्रॉड गेज ट्रैक स्लीपर्स और 761 ब्रॉड गेज विशेष आकार के स्लीपर्स की आपूर्ति के लिए आदेश देने के लिए मंजूरी मांगी गई थी, जिसकी कुल लागत रू 67,96,764 विषम थी, जिसके लिए प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा दिनांकित 29.10.1990 का आशय पत्र और खरीद आदेश जारी किया गया था।

15. एक खरीद आदेश सं. जी 101126 90–91 दिनांक 31.10.1990 को प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के भंडार नियंत्रक के कार्यालय से अपीलार्थी को जारी किया गया था, जिसमें अपीलार्थी से अनुरोध किया गया था कि वह खरीद आदेश में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों और खरीद आदेश में उल्लिखित दरों के अनुसार, नवीनतम भारतीय रेलवे मानकों के अनुसार 10596 ब्रॉड गेज ट्रैक स्लीपर्स और 761 ब्रॉड गेज स्पेशल स्लीपर्स की आपूर्ति करे।

16. आशय पत्र और खरीद आदेश के बाद 12.11.1990 दिनांकित एक पत्र था, जो अपीलार्थी के 30.10.1990 दिनांकित पत्र के जवाब में लिखा गया था। उपरोक्त पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी से खरीद आदेश के अनुसार आदेशित सामग्री की आपूर्ति करने का अनुरोध किया, अन्य बातों के साथ–साथ, यह तर्क देते हुए कि अपीलार्थी द्वारा उद्धृत मूल्य की वैधता की अवधि के भीतर, अपीलार्थी को उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आशय पत्र जारी करने के बाद, खरीद आदेश विधिवत रूप से अपीलार्थी पर रखा गया था। अपीलार्थी को चेतावनी दी गई थी कि यदि खरीद आदेश के अनुसार आपूर्ति नहीं की गई, तो अपीलार्थी की कीमत पर जोखिम खरीद की जाएगी और रू 75,000 की अर्नेस्ट जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने यह भी नोट किया कि अपीलार्थी ने प्रतिभूति जमा नहीं की थी, जिसके लिए खरीद आदेश अधीन था।

17. 19.11.1990 को एक अन्य पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी से सामग्री की आपूर्ति शुरू करने का अनुरोध किया। उक्त पत्र के जवाब में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास को दिनांक 27.11.1990 पर एक पत्र लिखा, जिसमें तर्क दिया गया कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ था और एक बार फिर अनुरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास में जमा की गई राशि अपीलार्थी को वापस कर दी जाए।

18. 03.9.1991 को या उसके लगभग दस महीने के बाद, प्रतिवादी पोर्ट ट्रस्ट ने मैसर्स छावोहरिया मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन, को बहुत अधिक दर पर लकड़ी के स्लीपरों की आपूर्ति के लिए लकड़ी के स्लीपरों की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया।

19. प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने तर्क दिया है कि, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा अपेक्षित संख्या में स्लीपरों की आपूर्ति करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने से अपीलार्थी के इनकार के कारण, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास को अनुबंध के संदर्भ में, अपीलार्थी द्वारा अपनी संशोधित बोली में उद्धृत दर पर, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास को खरीद की विशेष शर्तों के अनुच्छेद 16 में निहित जोखिम खरीद खंड को लागू करने के लिए विवश किया गया था, जो किसी तीसरे पक्ष से उच्च दर पर लकड़ी के स्लीपरों की खरीद के दिनांकित आदेश के साथ जोड़ा गया था, जिससे नुकसान हुआ, जिसके लिए प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास नुकसान का दावा करने का हकदार था। यह प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास का मामला है कि खरीद आदेश में निर्धारित शर्तें, जिसमें खरीद की विशेष शर्तें शामिल हैं, एक बाध्यकारी अनुबंध की शर्तों का गठन करती हैं।

20. अपीलार्थी के अनुसार अपीलार्थी और प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के बीच बातचीत एक संपन्न अनुबंध में सफल नहीं हुई, क्योंकि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी के प्रस्ताव की शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और अपीलार्थी उन नियमों और शर्तों से सहमत नहीं था जिन पर प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने जोर दिया, विशेष रूप से अपीलार्थी के सामान्य भंडार में अंतिम निरीक्षण की शर्त।

21. 10.4.1992 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी के खिलाफ द्वितीय अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश, विशाखापत्तनम के न्यायालय में मुकदमा ओ.एस संख्या 106/1993 दायर किया, जिसमें उस पर ब्याज के साथ रू 33,19,991/– के सविंदा के उल्लंघन के लिए हर्जाना मांगा गया। अपीलार्थी ने उक्त मुकदमे में अपना लिखित बयान 23.3.1994 को या उसके आसपास विधिवत दाखिल किया।

22. जून, 1994 या उसके आसपास, अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायाधीश, विशाखापत्तनम की अदालत में मुकदमा ओ.एस. संख्या 450/1994 दायर किया। जिसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट के पास जमा की गई बयाना राशि 24.4.1991 से 23.4.1993 तक 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, लागत और अन्य परिणामी राहतों के साथ वापस करने का दावा किया गया है। प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें बकाया जमा राशि को वापस करने के अपने दायित्व से इनकार किया गया।

23. ओ. एस. संख्या 106/1993 और ओ. एस. संख्या 450/1994 के दो मुकदमों को एक साथ जोड़ा गया और प्रथम अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, विशाखापत्तनम द्वारा सुना गया। पहले मुकदमे में, निम्नलिखित मुद्दों को मुकदमे के लिए तैयार किया गया थाः–

(i) क्या अपीलार्थी ने अनुबंध का उल्लंघन किया है?

(ii) क्या प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास प्रतिवादी से वाद राशि की वसूली का हकदार था?

(iii) प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास किस राहत का हकदार था?

24. ओ. एस. 450/1994 (दूसरा मुकदमा) में, मुद्दे थेः–

(i) क्या अपीलार्थी प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास से किए गए दावे के अनुसार ब्याज के साथ बकाया राशि की वापसी का हकदार था।

(ii) क्या मुक़दमा (दूसरा मुक़दमा) परिसीमा द्वारा वर्जित था?

(iii) अपीलार्थी किस राहत, यदि कोई हो, का हकदार था?

25. चूँकि दोनों मुकदमों को एक साथ जोड़ा गया था और दोनों मुकदमों में मुद्दे आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों मुकदमों के लिए सामान्य सबूत दर्ज किए गए थे। जबकि एक वी. आदिनारायण, जो उस समय प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास के भंडार विभाग में काम कर रहे थे, से प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास की ओर से पूछताछ की गई, श्री जी. सी. पाडिया, जो अपीलार्थी के निदेशक थे, से अपीलार्थी की ओर से पूछताछ की गई।

26. दोनों मुकदमों का एक साथ निपटान एक सामान्य निर्णय और दिनांक 31.3.2000 के आदेश द्वारा किया गया था। जबकि पहला मुकदमा प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरा मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

27. संबंधित पक्षों की दलीलों और दलीलों पर चर्चा करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यह स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट ने लकड़ी के स्लीपर की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने अपनी बोली प्रस्तुत की थी।

28. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास ने अपीलार्थी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और 29.10.1990 पर, अर्थात् अपीलार्थी द्वारा उद्धृत मूल्य की वैधता की अवधि के भीतर, आशय पत्र सह खरीद आदेश जारी किया था। अपीलार्थी द्वारा उद्धृत मूल्य 31.10.1990 तक वैध था।

29. ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी ने प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले अपने प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी और प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक संपन्न अनुबंध था, क्योंकि प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट ने 29.10.1990 पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकार कर लिया था, जबकि

अपीलार्थी द्वारा उद्धृत मूल्य अभी भी वैध था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि अनुबंध 29.10.1990 पर समाप्त हुआ था जब प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आशय पत्र जारी किया गया था।

30. विचारण न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के बीच कोई अनुबंध हुआ था या नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निविदा को प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा 31 अक्टूबर, 1990 के भीतर स्वीकार कर लिया गया था, जो अपीलार्थी द्वारा दिए गए उद्धरण की वैधता की निर्धारित अवधि थी। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि खरीद आदेश की स्वीकृति अपीलार्थी के खिलाफ पूरी की गई थी, जब प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट के अंत से आशय पत्र सह खरीद आदेश भेजा गया था।

31. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास और अपीलार्थी के बीच एक संपन्न अनुबंध था, विचारण न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 4 पर भरोसा किया, जो सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः

4. **संचार जब पूरा हो जाता है–किसी प्रस्ताव का संचार** तब पूरा होता है जब उस व्यक्ति के ज्ञान की बात आती है जिसे यह दिया जाता है।

> स्वीकृति का संचार पूर्ण होता है–प्रस्तावक के विपरीत, जब इसे उसे संचरण के क्रम में रखा जाता है, ताकि स्वीकारकर्ता की शक्ति से बाहर हो;
>
> स्वीकारकर्ता के विपरीत, जब प्रस्तावक के ज्ञान की बात आती है।
>
> प्रतिसंहरण का संचार पूर्ण है, –
>
> जैसा कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो इसे बनाता है, जब इसे उस व्यक्ति को संचरण के पाठ्यक्रम में डाल दिया जाता है जिसे यह बनाया गया है, ताकि इसे बनाने वाले व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो;
>
> जैसा कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे यह बनाया गया है, जब यह उसके ज्ञान की बात आती है।"

32. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यह साबित हो गया था कि अपीलार्थी और प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक संपन्न अनुबंध था, लेकिन अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट को लकड़ी के स्लीपर की आपूर्ति नहीं की थी। एक बार जब यह साबित हो जाता है कि एक निष्कर्षित अनुबंध था और प्रतिवादी यानी इस यू. आर. टी. से पहले अपीलार्थी ने खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति नहीं की थी, तो यह माना जाना था कि प्रतिवादी ने अनुबंध का उल्लंघन किया था। विचारण न्यायालय ने वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया कि यह तथ्य कि अपीलार्थी को आशय पत्र प्राप्त हुआ था और 31 अक्टूबर, 1990 के भीतर उसकी रसीद का समर्थन किया गया था, प्रत्यर्थी के मामले को स्थापित करता है कि अनुबंध समाप्त हो गया था।

33. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी–पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक संपन्न अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है, प्रत्यर्थी पोर्ट ट्रस्ट हर्जाने का हकदार है

जैसा कि 1993 के ओ. एस. No.106 मुकदमे में दावा किया गया है। प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास को हर्जाना देने में, विचारण न्यायालय ने अनुबंध अधिनियम की धारा 73 पर ध्यान दिया जो सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः

> 73. संविदा के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति– जब कोई संविदा को तोड़ा जाता है, तो जो पक्ष इस तरह के उल्लंघन से पीड़ित होता है, वह उस पक्ष से, जिसने संविदा को तोड़ा है, किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जो स्वाभाविक रूप से इस तरह के उल्लंघन से चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न हुआ है, या जिसे पक्षकारों को पता था कि जब उन्होंने संविदा की थी, तो इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है।

34. ट्रायल कोर्ट ने कहा कि माल की आपूर्ति के लिए अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, बंदरगाह अनुबंधित मूल्य और डिलीवरी के स्थान पर ऐसी वस्तुओं के बाजार मूल्य के बीच के अंतर को नुकसान के रूप में दावा कर सकता है। यदि निकटतम स्थान पर कोई बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं था, तो नियंत्रित बाजार में प्रचलित मूल्य पर विचार किया जा सकता था।

35. ट्रायल कोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम दयाल वुड वर्क्स 1; फतेह चंद बनाम बालकिशन दास 2; जी .एम .टी .ए .पी के फैसलों पर विचार किया। को–ऑप। डी. पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायचूर 3; मारिमुथु गौंडर बनाम रामास्वामी गौंडर और अन्य 4 अपीलार्थी द्वारा उद्धृत और ए.के.एस में निर्णय। जमाल बनाम मूला दाऊद संस एंड कंपनी 5; मेसर्स सराया डिस्टिलरी, सरदारबग्गर बनाम भारत संघ और अन्र। 6; मुरलीधर चिरंजीलाल बनाम मेसर्स हरिश्चंद्र द्वारकादास और अन्र। 7; महाराष्ट्र राज्य और अन्र। बनाम दिगंबर बलवंत कुलकर्णी 8 प्रत्यर्थी–पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उद्धृत।

36. मेसर्स सराया डिस्टिलरी, सरदारबग्गर बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, निचली अदालत ने माना कि हर्जाने का दावा करने के लिए वास्तविक पुनर्खरीद का प्रमाण आवश्यक नहीं था।

37. ट्रायल कोर्ट ने तीसरे पक्ष से निविदाएं बुलाने में देरी के अपीलार्थी के तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट एक वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते और एक निजी व्यक्ति नहीं होने के नाते, निविदाएं बुलाने और तीसरे पक्ष की निविदा स्वीकार करने में अपने नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक था।

38. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अनुबंध इसके पूरा होने या इसके परित्याग तक लागू करने योग्य था। सविंदा को रद्द करना और प्रतिभूति जमा का परिणामी ज़ब्त करना उचित था और अनुबंध की शर्तों के भीतर था।

39. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम दयाल वुड्स वर्क्स (उपरोक्त) मामले में, जिसे निचली अदालत के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उद्धृत किया गया था, उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर

पाया था कि स्लीपर्स की आपूर्ति के लिए कोई अनुबंध नहीं हुआ था और इसके परिणामस्वरूप वादी प्रतिभूति जमा की वापसी का हकदार था।

40. निचली अदालत के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उद्धृत फतेह चंद (ऊपर) में, इस अदालत की पांच–न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:

> " 10 ... . हर्जाने का आकलन करने में न्यायालय को, निर्धारित दंड की सीमा के अधीन, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मुआवजा देने का अधिकार क्षेत्र है जो वह उचित समझता है। संविदा के उल्लंघन के मामले में मुआवजा देने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिकतम निर्धारित को छोड़कर अयोग्य है, लेकिन मुआवजा उचित होना चाहिए और यह तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार मुआवजा देने के न्यायालय के कर्तव्य को लागू करता है। इस धारा में निस्संदेह कहा गया है कि पीड़ित पक्ष उस पक्ष से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है जिसने अनुबंध तोड़ा है, चाहे उल्लंघन के कारण वास्तविक नुकसान या नुकसान साबित हुआ हो या नहीं। इस प्रकार यह केवल "वास्तविक हानि या क्षति" के प्रमाण के साथ वितरण करता है; यह मुआवजे के पुरस्कार को उचित नहीं ठहराता है जब उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई कानूनी क्षति नहीं हुई है, क्योंकि अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजा अच्छा नुकसान या क्षति करने के लिए दिया जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न हुआ था, या जिसे पक्षकारों को पता था कि उन्होंने अनुबंध कब किया था, उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है।
>
> 11. ... .इसलिए, सभी मामलों में, जहां अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमा की गई राशि को ज़ब्त करने के लिए दंड की प्रकृति में कोई शर्त है, जो स्पष्ट रूप से ज़ब्त करने का प्रावधान करती है, अदालत को ऐसी राशि देने का अधिकार क्षेत्र है जो वह उचित समझती है, लेकिन अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है जो ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है।"

41. मरीमुथु गौंडर (ऊपर) में, जिसे अपीलार्थी द्वारा भी उद्धृत किया गया था, निचली अदालत के समक्ष, मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने माना कि वास्तविक क्षति का प्रमाण हर्जाने की मांग करने के लिए और जी.एम.टी.ए.पी . को–ऑप में अनिवार्य था। एमकेटीएस। लिमिटेड बनाम डीवाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ, रायचूर (ऊपर) ने कहा कि चावल की आपूर्ति में चूक के लिए एक मिलिंग एजेंट पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि चूक के कारण हुए नुकसान का पूर्व–आकलन नहीं किया गया है, भले ही अनुबंध में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया हो।

42. प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास की ओर से उद्धृत मुरलीधर चिरंजीलाल (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> 9. जिन दो सिद्धांतों पर ऐसे मामलों में नुकसान की गणना की जाती है, वे अच्छी तरह से तय किए जाते हैं। पहला यह है कि, जहाँ तक संभव हो, वह जिसने समझौते की आपूर्ति के लिए सौदे का उल्लंघन साबित किया है, उसे रखा जाना चाहिए, जहाँ

तक पैसा इसे कर सकता है, उतनी अच्छी स्थिति में जैसे कि अनुबंध किया गया था; लेकिन यह सिद्धांत एक दूसरे द्वारा योग्य है, जो वादी पर उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाने का कर्तव्य लगाता है, और उसे नुकसान के किसी भी हिस्से का दावा करने से रोकता है जो इस तरह के कदम उठाने में उसकी लापरवाही के कारण होता हैः (ब्रिटिश वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम लंदन की अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी [(1912) एसी 673,689])। (ब्रिटिश वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम लंदन की अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी [(1912) एसी 673,689])। इसलिए यदि अनुबंध कानपुर में किया जाना था तो यह प्रत्यर्थी का कर्तव्य था कि वह कानपुर में माल खरीदे और उल्लंघन की तारीख को उन्हें कलकत्ता भेजे और यदि अनुबंध मूल्य की तुलना में उल्लंघन की तारीख को कीमत में वृद्धि के कारण इसे कोई नुकसान हुआ, तो यह नुकसान के लिए फिर से वितरित होने का हकदार होगा। यदि प्रत्यर्थी वास्तव में उल्लंघन की तारीख को कानपुर के बाजार में उन्हें नहीं खरीदता है, तो भी वह उल्लंघन की तारीख को कानपुर में प्रचलित समान कैनवास के लिए दर के प्रमाण पर हर्जाने का हकदार होगा, यदि वह दर अनुबंधित दर से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप उसे नुकसान हुआ था। लेकिन प्रतिवादी ने उल्लंघन की तारीख को कानपुर में प्रचलित समान कैनवास की दर को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए यह स्पष्ट रूप से किसी भी नुकसान का हकदार नहीं होगा, क्योंकि साक्ष्य की इस स्थिति पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी नुकसान स्वाभाविक रूप से चीजों के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुआ।

43. प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास की ओर से उद्धृत महाराष्ट्र राज्य और अन्र बनाम दिगंबर बलवंत कुलकर्णी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अनुबंध को उसके उद्देश्य के लिए नियत तिथि की समाप्ति के बाद रद्द नहीं किया जा सकता है। नियत तिथि की समाप्ति के बाद अनुबंध कार्य को छोड़ना उल्लंघन के बराबर होगा, जिससे उल्लंघन में पक्ष के खिलाफ नुकसान के दावे को जन्म मिलेगा। नियत तिथि की समाप्ति के बाद अनुबंध कार्य को छोड़ना उल्लंघन के बराबर होगा, जिससे उल्लंघन में पक्ष के खिलाफ नुकसान के दावे को जन्म मिलेगा।

44. जमाल बनाम मूला दाऊद संस एंड कंपनी (उपरोक्त) में, प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि एक वादी जो हर्जाने के लिए मुकदमा करता है, वह उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाने का कर्तव्य रखता है और अपनी उपेक्षा के कारण होने वाली किसी भी राशि को हर्जाने के रूप में दावा नहीं कर सकता है।

45. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है, यह मानते हुए कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरे साक्ष्य और सामग्रियों पर विचार करने पर प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास द्वारा दायर मुकदमे का फैसला सुनाया था और अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया था।

46. यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षों की ओर से की गई मुख्य प्रस्तुति इस बारे में घूमती है कि क्या कोई निष्कर्षित अनुबंध था या नहीं, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निम्नलिखित निर्णयों को नोट कियाः

(i) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम और अन्य बनाम बिहार एलॉय स्टील्स लिमिटेड और अन्य

(ii) रघुनंदन रेड्डी बनाम हैदराबाद राज्य तृतीय शासन सचिव, राजस्व विभाग

(iii) महेश ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम टी. एंड डी. वर्कर्स यूनियन

(iv) एम.वी. शंकर भट्ट और अन्य. वी. क्लॉड पिंटो (डी) के बाद से

विधिक प्रतिनिधि द्वारा. और अन्य.

(v) जवाहर लाल बर्मन बनाम भारत संघ

(iv) यू.पी. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड बनाम इंदुरे प्रा. लिमिटेड

और अन्य.

47. अपील के तहत निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित किसी भी निर्णय पर चर्चा नहीं की है। उच्च न्यायालय ने केवल अपीलार्थी की इस दलील को दर्ज किया कि प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 34 (1) के तहत न्यासी मंडल की कोई पूर्व मंजूरी नहीं थी और इसलिए, कोई प्रवर्तनीय सविंदा नहीं था।

48. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम और ए. एन. आर. बनाम बिहार एलॉय स्टील्स लिमिटेड और अन्य (ऊपर) मामले में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने निर्णय दियाः

> "17. तत्काल मामले में धारा 34 के प्रावधान उस तरीके को निर्धारित करते हैं जिसमें न्यासी मंडल की ओर से अनुबंध किया जाना है और आगे की उप–धारा (3) में एक निषेध है कि धारा के पहले भागों के अनुसार नहीं किया गया अनुबंध बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा एच. एस. रोख बनाम नई दिल्ली नगरपालिका ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 554 में दिए गए अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह के निषेध का प्रभाव उप–अनुभाग में निहित है। (3) धारा 34 अनुबंध को ही अमान्य और अप्रवर्तनीय बनाती है। उस मामले में विवाद नई दिल्ली नगर निगम के खिलाफ रोक लगाने के बारे में था जो पंजाब नगर अधिनियम, 1911 द्वारा शासित था, जिसमें इसी तरह का प्रावधान है।"

49. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम और ए. एन. आर. बनाम बिहार एलॉय स्टील्स लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि पोर्ट ट्रस्ट के एक क्षेत्र को पट्टे पर देने के लिए यातायात प्रबंधक के पत्र में निहित वादा न्यासी मंडल के खिलाफ अमान्य और

अप्रवर्तनीय था, क्योंकि प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 34 के अनुसार कोई अनुबंध नहीं किया गया था।

50. रघुनाथन रेड्डी बनाम हैदराबाद राज्य में। सरकारी राजस्व विभाग (ऊपर) के सचिव, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने निर्णय दिया:

> "8. यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि केवल जब कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो अनुबंध समाप्त हो जाता है और पक्षों को बाध्य करता है। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले, प्रस्तावकर्ता अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है, लेकिन यदि स्वीकृति सशर्त है या अंतिम नहीं है, तो कोई अनुबंध नहीं है।"

51. महेश परिवहन कंपनी बनाम परिवहन और गोदी श्रमिक संघ (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के तहत एक औद्योगिक विवाद के संदर्भ की वैधता और औचित्य से संबंधित है, स्पष्ट रूप से इस मामले में शामिल मुद्दों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं रखता है। एम. वी. शंकर भट और ए. एन. आर. बनाम क्लाउड पिंटो में एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. (ऊपर) द्वारा (डी) के बाद से, इस न्यायालय ने माना कि एक समझौता जो वसीयत के तहत उत्तराधिकारियों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन था, जो समझौते के पक्षकार नहीं थे, एक निर्णायक अनुबंध नहीं बनाते थे। फैसले की प्रासंगिकता अस्पष्ट है।

52. यू. पी. में राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड बनाम इंदूर प्राइवेट लिमिटेड। और (ऊपर) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी अधिसूचना द्वारा एक अनुबंध तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि इसे इसके संघ के अनुच्छेदों के अनुसार निष्पादित नहीं किया जाता है।

53. उच्च न्यायालय ने पाया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि निविदाएं मांगी गई थीं और यह प्रतिवादी पोर्ट ट्रस्ट का मामला था कि अपीलार्थी के प्रस्ताव को वास्तव में स्वीकार कर लिया गया था और 31 अक्टूबर, 1990 को पंजीकृत डाक के तहत खरीद आदेश जारी किया गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया था लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी का यह तर्क भी दर्ज किया कि प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम 1963 की धारा 34 (1) के प्रावधान के तहत प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के न्यासी मंडल से पूर्व अनुमोदन के अभाव में कोई प्रवर्तनीय अनुबंध नहीं हो सकता है। भले ही उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के निवेदन का उल्लेख किया कि आशय पत्र बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के अधीन था और प्रतिवादी–पोर्ट ट्रस्ट के एकमात्र गवाह ने स्वीकार किया था कि कोई अनुबंध नहीं किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:

> "प्रदर्श–ए 1 में निविदा शर्तों के खंड 16 के तहत विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट द्वारा रखी गई मुख्य निर्भरता यह थी कि सामग्री की आपूर्ति न होने की स्थिति में, पोर्ट ट्रस्ट को अनुबंध को रद्द करने का अधिकार है, जबकि कंपनी का मामला यह था कि कोई अनुबंध नहीं था। इसलिए, किसी को यह देखना होगा कि क्या वास्तव में कोई निष्कर्ष या लागू करने योग्य अनुबंध था, इससे पहले कि कोई दूसरे को दोष दे सके। पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा पोर्ट ट्रस्ट की ओर से साक्ष्य के माध्यम से काफी पुनः दावा किया

गया है। बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के रूप में प्रदर्श–ए 8 में एक उल्लेख का संदर्भ है, जो मैसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, कुछ भी आने वाला नहीं है। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 1 ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि यह सच है कि अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था। हालाँकि, यह अपने आप में इरादे की प्रकृति पर एक प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, जो दस्तावेजों में तथ्यों और परिस्थितियों का पालन कर सकता है, जो देख रहे हैं। यह देखा जाना चाहिए कि मैसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, और इसके 27.11.1990 पूर्व के पत्र के अनुसार भी। ए. 10, मेसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांकित 29.10.1990 पत्र की प्राप्ति और निविदा की स्वीकृति के बारे में स्वीकार किया जो तीन महीने के लिए वैध है। इसलिए, 29.10.1990 पर निविदा की स्वीकृति के बारे में उल्लेख किए गए प्रदर्श–ए 10 पत्र को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए यह कहना खुला नहीं है कि कोई स्वीकृति नहीं थी और न ही कोई अनुबंध किया गया था। नीचे दिए गए न्यायालय ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी की निविदा को 29.10.1990 पर विधिवत स्वीकार किया गया था, जिसके बाद 31.10.1990 पर खरीदार का आदेश दिंया गया था और यह स्वय यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वहाँ निष्कर्ष निकाला गया था और लागू करने योग्य अनुबंध था। इस प्रकार, मैसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मुँह में यह कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि इस तरह की स्वीकृति के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया है, उल्लंघन पूरी तरह से केवल मैसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर पड़ता है और इसलिए, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने सही ढंग से राशि जब्त कर ली है और नीचे दिए गए न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि उक्त वादी अर्थात् विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट दावा की गई राशि का हकदार है। उसी के बाद और परिणामस्वरूप उक्त निष्कर्ष जो मामले की जड़ तक जाते हैं, मैसर्स पाडिया टिम्बर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दूसरे मुकदमे में धनवापसी के लिए किया गया दावा भी उसी स्वयं के कारणों के साथ आधार पर आता है। इसलिए, हम इन अपीलों में कोई गुण नहीं पाते हैं।"

54. सबसे बड़े सम्मान के साथ, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दलीलों पर संक्षिप्त रूप से विचार किया है और अपीलार्थी की ओर से उद्धृत मामलों पर भी चर्चा नहीं की है।

55. ट्रायल कोर्ट ने अनुबंध अधिनियम की धारा 4 पर भरोसा किया, लेकिन धारा 7 की पूरी तरह से अनदेखी की। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः

7. स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए – किसी प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए स्वीकृति–किसी प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए स्वीकृति–"

(1) पूर्ण और अयोग्य होनी चाहिए।

(2) इसे कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाए, जब तक कि प्रस्ताव उस तरीके को निर्धारित न करे जिसमें इसे स्वीकार किया जाना है। यदि प्रस्ताव एक तरीका निर्धारित करता है जिसमें इसे स्वीकार किया जाना है, और स्वीकृति इस तरह से नहीं की जाती है, तो प्रस्तावक, स्वीकृति के बारे में उसे सूचित किए जाने के बाद एक उचित समय के भीतर, इस बात पर जोर दे सकता है कि उसका प्रस्ताव निर्धारित तरीके से स्वीकार किया जाएगा, और अन्यथा नहीं; लेकिन, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह स्वीकृति स्वीकार करता है।

56. यह अनुबंध के कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी प्रस्ताव का प्रस्ताव और स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। प्रस्ताव और स्वीकृति तीन घटकों, अर्थात निश्चितता, प्रतिबद्धता और संचार पर आधारित या आधारित होनी चाहिए। हालाँकि, जब प्रस्तावक द्वारा पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध को स्वीकार करते समय स्वीकारकर्ता एक नई शर्त रखता है, तो अनुबंध तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि प्रस्तावक उस शर्त को स्वीकार नहीं करता है, जैसा कि हरिद्वार में इस न्यायालय द्वारा माना गया है। हालाँकि, जब स्वीकारकर्ता प्रस्तावक द्वारा पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध को स्वीकार करते हुए एक नई शर्त रखता है, तो अनुबंध तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि प्रस्तावक उस शर्त को स्वीकार नहीं करता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हरिद्वार सिंह बनाम बागुन सुम्बरुई और अन्य मामलों में माना गया है। 15 भिन्नता के साथ स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है। वास्तव में यह केवल एक विपरीत प्रस्ताव है जिसे अनुबंध किए जाने से पहले मूल प्रस्तावक द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए।

57. भारत संघ बनाम भीम सेन वलीती राम 16 में, इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी प्रस्ताव की स्वीकृति या तो पूर्ण या सशर्त हो सकती है। यदि स्वीकृति सशर्त है, तो प्रस्ताव को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है जब तक कि पूर्ण स्वीकृति नहीं हो जाती।

58. उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट जवाहर लाल बर्मन बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबंध अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण और अयोग्य होनी चाहिए और यह सशर्त नहीं हो सकती है। हालाँकि, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, समग्र रूप से स्वीकृति पत्र को पढ़ने पर, अपीलार्थी का यह तर्क कि पत्र का उद्देश्य अनुबंध में पर्याप्त बदलाव करना था, प्रतिभूति जमा करने को बाद की शर्त के बजाय एक पूर्व शर्त बनाना था, स्वीकार नहीं किया गया था।

59. उच्च न्यायालय ने अनुबंध अधिनियम की धारा 7 की भी अनदेखी की। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस मुख्य बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास द्वारा जारी निविदा के जवाब में, अपीलार्थी ने अपीलार्थी के डिपो में किए जा रहे निरीक्षण के अधीन अपनी पेशकश सशर्त रूप से प्रस्तुत की थी। इस शर्त को प्रतिवादी–बंदरगाह न्यास द्वारा बिना शर्त स्वीकार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास अपीलार्थी के डिपो में निरीक्षण के लिए सहमत हो गया, लेकिन एक और शर्त लगाई कि माल का अंत में प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास के शोरूम में निरीक्षण किया जाएगा। अपीलार्थी द्वारा इस शर्त को स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि एक अनुबंध संपन्न हुआ था। वहाँ कोई निष्कर्षित अनुबंध नहीं होने के कारण,

अपीलार्थी की ओर से किसी भी उल्लंघन या नुकसान या अपीलार्थी की कीमत पर किसी भी जोखिम खरीद का कोई सवाल नहीं हो सकता है। अपीलार्थी की बयाना जमा राशि वापस की जानी चाहिए।

60. चूंकि हमारा मानना है कि अपीलकर्ता न तो उल्लंघन में था और न ही नुकसान के लिए उत्तरदायी था, इसलिए हमारे लिए इस सवाल की जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या प्रतिवादी पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दावा किया गया मुआवजा और/या नुकसान उचित था या अत्यधिक, क्या नुकसान के लिए दावा केवल वास्तविक नुकसान के प्रमाण के अधीन रखा जा सकता है, और क्या प्रतिवादी पोर्ट ट्रस्ट ने नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए थे। हमें यह तय करने की अकादमिक कवायद शुरू करने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या माल की आपूर्ति के लिए एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए न्यासी मंडल की पूर्व मंजूरी एक पूर्व शर्त है, या क्या बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन पर्याप्त होगा।

61. अपीलार्थी प्रत्यर्थी–बंदरगाह न्यास में जमा की गई बकाया राशि की वापसी का हकदार था। बकाया राशि 1994 के मुकदमे की स्थापना की तारीख से धनवापसी की तारीख तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ चार सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी।

62. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। अपील के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के साथ–साथ ओ. एस. संख्या 106/1993 और ओ. एस. संख्या 450/1994 में विचारण न्यायालय के सामान्य निर्णय और आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।